भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1096

08 दिसंबर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना का कार्यान्वयन

1096. श्री रामशिरोमणि वर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या क्या है;
(ख) इस योजना के तहत पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या कितनी है;
(ग) पूर्व के वर्षों में उत्तर प्रदेश में उक्त योजना के तहत कितने लाभार्थियों को सहायता दी गई है तथा इस संबंध में कितनी निधि जारी और उपयोग की गई है; और
(घ) उक्त योजना के तहत पात्र लाभार्थियों तथा ऐसे लाभार्थी जो वंचित रह गए हैं, को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा कौन-से उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (घ): दिनांक 2 दिसंबर 2023 की स्थिति के अनुसार, योजना के तहत लगभग 27.7 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन किया जा चुका है, और योजना के लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में 11,734 निजी अस्पतालों सहित कुल 26,775 अस्पतालों को पैनलबद्ध किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य में, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना को राज्य-विशिष्ट योजना-मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान (एमएमजेएए) के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जा रहा है। एकीकृत योजना के तहत कुल 1.8 करोड़ परिवार स्वास्थ्य परिचर्या लाभ के लिए पात्र हैं, जिनमें से 1.31 करोड़ परिवार केंद्र

और राज्य सरकारों द्वारा सहायता प्राप्त की है और अतिरिक्त 49.22 लाख परिवार विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त की है।

आज की स्थिति के अनुसार, इस योजना के तहत 4,030.8 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 28.25 लाख अस्पताल दाखिलों को अधिकृत किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में, योजना के तहत 1,289.9 करोड़ रुपये के 8.43 लाख अस्पताल दाखिलों को अधिकृत किया गया है। निर्गमित निधियों के संबंध में, योजना की शुरुआत के बाद से राज्य को केंद्रीय भाग के अंशदान के रूप में कुल 1,504.7 करोड़ रुपये की निधियां निर्गत की गई है। इसमें से 501.78 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2022-23 में निर्गत किए गए हैं।

विगत पांच वर्षों में, यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहल की गई हैं ताकि इस योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत कवर किया जाए, जो राज्य एसईसीसी डेटाबेस के अनुसार पात्र लाभार्थियों की पहचान करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें बचे हुए (असत्यापित) एसईसीसी लाभार्थियों की पहचान करने के लिए गैर-एसईसीसी डेटाबेस का उपयोग करने की सुविधा प्रदान की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह लचीलापन सुनिश्चित करेगा कि सभी पात्र लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत शामिल हों। इसके अलावा, राज्य में आपके द्वार आयुष्मान (एडीए) अभियान, आयुष्मान भव पहल और एंड्रॉइड आधारित 'आयुष्मान ऐप' के माध्यम से अधिकतम आयुष्मान कार्डों को बनाने के प्रयास किए गए हैं; ।

एसईसीसी लाभार्थी डडाटाबेस को समृद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) आदि जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के डेटाबेस का उपयोग किया गया है।

*****